

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक २-७२२/३८ २/उ.शि. / 2016 नया रायपुर, दिनांक २० / ०९ / 2016

प्रति,

कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़

प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

विषय—प्रवेश तिथि में वृद्धि के राब्ध में।

विषयांतर्गत राज्य शासन के ध्यान में आया है कि प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि समाप्त हो जाने के बाद भी अनेक महाविद्यालयों में खींकूत सीट रिवर्ट हैं, जिनमें प्रदश हेतु आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

2. अत. छात्र हित में विशेष प्रकरण मानते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका के तहत उक्त गुणानुक्रम के आधार पर दिनांक 24.09.2016 तक इस शर्त पर प्रवेश दिया जा सकता है कि प्रवेशित छात्र-छात्राओं की उपरित्ति साक्षी मापदण्ड पूर्ण करने के लिए जिम्मेदार संबंधित प्रवेशित छात्रों के साथ साथ महाविद्यालयों के प्राचार्य की भी होगी।

(मान० मंत्रीजी उच्च शिक्षा द्वारा आदेशित)

(डॉ. एन.एस. सुर्यनारायण)

विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी

छ.ग शासन, उच्च शिक्षा विभाग

फॉर्म २-७२२/३८ २/उ.शि. / 2016 नया रायपुर, दिनांक २० / ०९ / 2016

प्रतिलिपि

1. प्रमुख सचिव, मान० मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर।
2. सचिव, मान० राज्यपाल, राजभवन, सिचिल लाइन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, मान० मंत्रीजी उच्च शिक्षा मंत्रालय, रायपुर।
4. संयुक्त राज्य सूख्य संचिव कायोलय मंत्रालय, रायपुर।
5. कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय, छ.ग.
6. आयुक्त, उच्च शिक्षा, इदावाली भवन, मंत्रालय, रायपुर।
7. स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
8. क्षेत्रीय अपर रंचालक, उच्च शिक्षा छ.ग.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्तव्याही हतु।

विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी

छ.ग शासन उच्च शिक्षा विभाग,



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) अकादमिक विभाग

पृ. क्रमांक : २३४६ / अका. / 2016

रायपुर, दिनांक : 21/09/2016

प्रतिलिपि :

01. प्राचार्य, संबंधित समस्त महाविद्यालय को/अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
02. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

आदेशानुसार,

कक्ष अधिकारी (अका.)